न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	28/24	2024/54	16.08.2024	सरकार बनाम नरेन्द्र चौहान व अन्य	26.02.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 48/2018 (2018/00046)

उनवान प्रकरण

1. दिनेश चंद मीना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राज०) – आवेदक

बनाम

1. श्री नरेन्द्र चौहान पुत्र श्री मर्दान सिंह चौहान पेन्ट्रीकार मेनेजर गाड़ी सं. 20941 पेन्ट्रीकार से. 197218/सी खाद्य कारोबारकर्ता घर, का पता:– ग्राम विरगवा (सीमार) तह, मंहगांव, जिला–भिण्ड म.प्र.

2. मैसर्स कंचन रेस्टोरेंट एंड केटर्स, इन्फ्रन्ट ऑफ इटारसी रेलवे स्टेशन न्यू यार्ड रोड़ इटारसी, नर्मदापुरम म.प्र.–461111 INDIA फर्म/लाईसेंसी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2008 रुल्स–2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान में अभिहति अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के द्वारा आवेदक को खाद्य नमूना संख्या **WCR**/915–1234 संग्रह दिनांक 25.07.2024 में न्यायाय निर्णायक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। ओम प्रकाश राठौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.08.2023 को समय 12.25 बजे गाड़ी सं. 20941 पेन्ट्रीकार सं. 197218/सी मैसर्स कंचन रेस्टोरेंट एंड केटर्स, इन्फ्रन्ट ऑफ इटारसी रेलवे स्टेषन न्यू यार्ट रोक इटारसी, नर्मदापुरम म.प्र.–461111 का निरीक्षण किया जहाँ पर पेन्ट्रीकार मेनेजर श्री नरेन्द्र चौहान; खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** की बिक्री कर रहे थे। उनको अपना परिचय दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग लगभग 02 किग्रा. के 04 पार्ट में **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 240/– विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं० 5–ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5–ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं० 5–ए एवं मौका फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आदेष के साथ संलग्न है।यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदीशुदा खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** मात्रा 02 किग्रा. को 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग 500–500 ग्राम **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** 04 जारों में भरकर प्रत्येक पार्ट में 40–40 बूंद प्रिजरवेटिव फोर्मेलिन मिलाकर मिलाया गया एवं ढक्कन लगाकर प्रत्येक जार को पैक किया गया और लेबल पर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं क्रमांक डब्ल्यूसीआर/915–1234 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग को खाखी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात् अभी हित अधिकारी पमरे जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 1[illegible]:10:45 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पेपर स्लिप जिसका कोड एंव स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–1234 नीचे से ऊपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे पे बांधकर नियमानुसार चार सील वपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के ऊपर–नीचे, दाँये बॉए, लगायी गयीं। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनों पर आए तथा मैनें प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।पेण्ट्रीकार मेनेजर श्री नरेन्द्र चौहान को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त संग्रह किये गये नमूने का चौथे भाग की जाँच प्रत्यायित प्रयोगशाला में करवाना चाहते हैं। लेकिन पेण्ट्रीकार मेनेजर ने इस बाबत कोई अनुरोध नही किया। दिये गये सूचना पत्र की प्रति न्याय निर्णएन आवेदन के साथ संलग्न है। पेण्ट्रीकार मेनेजर श्री नरेन्द्र चौहान को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया की उक्त खाद्य सामग्री उसने कहाँ से खरीदी है। इसकी खरीद का कोई बिल, बीजक, कैश मेमो, इनवॉइस यदि हो तो प्रस्तुत करें लेकिन पेण्ट्रीकार मेनेजर श्री नरेन्द्र चौहान द्वारा इस संबंध में **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** की खरीद का कोई बिल प्रस्तुत नही किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर पेण्ट्रीकार मेनेजर श्री नरेन्द्र चौहान, गवाह एवं स्तंय ने हस्ताक्षर किये है। मौका फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्नहैं।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म संख्या 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया है। एक नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक भोपाल को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक भोपाल को जमाकर फार्म सं० 6 की रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष तीन भाग सील बंद नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी पमरे जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभीहित अधिकारी पमरे जबलपुर के पत्र क्रमाक पमरे/एचक्यू /एच/एच 0602/एफएसएसए दिनांक 06.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं० **Food Analyst Jaipur Report No-LS/3378/Act/2023/3423 Dtd:** 29.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया। खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Mastor Dal Made in Refined soyabean Oil** सबस्टेण्डर्ड फूड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 200 का उल्लंघन है जिसकी सजा/जुमीना एफएसएस एक्ट की धारा 51 में निर्धारित है।।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की सम्यक् रूप से तामील होने पर अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 , 23.02.2026 , 25.02.2026 को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार गुणावगुण पर पत्रावली निस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudanshu Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य क[illegible] ने खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined so**[illegible] **Oil** सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा [illegible] की उपधारा 200 का उल्लंघन है जिसकी सजा/जुमीना एफएसएस एक्ट की धारा 51 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु.नं० 28/24 (2024/54) सरकार बनाम नरेन्द्र चौहान व अन्य

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं० **Food Analyst Jaipur Report No-LS/3378/Act/2023/3423 Dtd: 29.08.2023** निम्नानुसार हैः–

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY

JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

कार्यालय … चिकित्सा निदेशक … 05 SEP 2023 … पत्र संख्या. 42/ … Date: 29-08-2023

NABL TC 8916

(17)

Report No. L.S. / 3376 / Act / 2023 / 3423

Certified that I Pratibha Meena, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for Rajasthan state received from Sh. O. P. Rathore, Food Safety Officer O/O W.C. Railway Kota a sample of "Prepared Moong and Masoor Dal made in Refined Soyabean Oil" bearing Code number and Serial number WCR/915-1234 of Designated Officer, W.C. Railway Kota area on 21-08-2023 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:

The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Prepared Moong and Masoor Dal made in Refined Soyabean Oil" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations. 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 24-08-2023 to 29-08-2023 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.

(2) Physical appearance : - Creamish Yellow coloured cooked dal.

Sl. No.	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary …
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C of extracted oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.003:2021:2021	51.9	58.5 to 68.0 (Refined Soyabean Oil)
2.	Baudouin test of extracted oil	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS. ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI02.013:2021:2021	Negative	Negative
3.	Test for Argemone oil of extracted oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS. ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.032:2021:2021	Negative	Negative
4.	Test for Mineral oil of extracted oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.030:2021:2021	Negative	Negative
5.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent.	Absent

Opinion:- The sample of "Prepared Moong and Masoor Dal made in Refined Soyabean Oil" bearing Code No. and Sr. No. WCR/915-1234 of Designated Officer, W.C. Railway Kota is Sub-Standard as the extracted fat does not conform to the standards of refined soyabean oil as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signed this 29th day of August 2023

Food Analyst (Authorized Signatory)

PRATIBHA MEENA
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER
W.C. Railway, Jabalpur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

मु.प्र.नि. निदे. … मुख्य. नि. … अपर मु.नि. नि. … कार्या. अधी.

अभिहित अधिकारी / Designated Officer, पश्चिम मध्य रेल / जबलपुर, West Central Railway Jabalpur

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:45 IST
Reason: SelfAttested

A Butyro Refractometer (B.R.) reading of 51.9 at 40°C indicates a high refractive index, typical for many vegetable oils, but it is significantly higher than the standard range for pure cow or buffalo ghee (which usually ranges from 40–45).

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Interpretation of 51.9 Reading:Adulteration Indicator: A B.R. reading of 51.9 in ghee is a strong indicator of adulteration with vegetable oils or animal body fats, as it exceeds the typical 40-45 range for pure ghee.Corresponding RI: A B.R. reading of 51.9 corresponds to a Refractive Index (nD) of approximately 1.460–1.461 at 40°C.Vegetable Oil Range: This reading falls within the range for many vegetable oils (e.g., soybean, sunflower), which often have higher B.R. values than pure milk fat.
Contextual Factors:
Temperature Matters: B.R. readings are highly sensitive to temperature. The 51.9 reading should ideally be taken at 40°C to be compared with standard, established, and certified, or FSSAI, tables.
Correction Factor: If the reading was not taken at 40°C, it must be corrected (corrected B.R. = 1.08 x observed B.R.).
Disclaimer: This information is for analytical purposes based on standard industry references and does not constitute a legal food safety verdict.

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** अवमानक (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ **Prepered Moong and Masoor Dal Made in Refined soyabean Oil** अवमानक (Substandard) प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अभियुक्त सं0 1 को 10,000 (दस हजार) रूपये एवं अभियुक्त सं0 2 को 90,000 (नब्बे हजार) रूपये की जुर्माना राशि के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:45 IST
Reason: SelfAttested